

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 33/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 05 अगस्त 2019

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतगत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण म प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 28/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 09.07.2019, का.आ.2451 (अ) दिनांक 10.07.2019 द्वारा प्रकाशित, मे निम्नलिखित संशोधन करते है

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 6 के स्तंभ सं. 2 और 4 म मौजूदा शब्दों "म गोडरेज़ इंडिया लिमिटेड" तथा "न्हावा शेवा-V" को क्रमशः "मै गोडरेज़ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड" तथा "न्हावा शेवा-I" से प्रतिस्थापित किया जाए और क्रम सं. 6 के स्तंभ सं. 3 मे मौजूदा प्रविष्टि को "फा. सं. DRI/AZU/GI-02/Enq-3(Int-14/2017)/2018 दिनांक 21.05.2019, दिनांक 02.07.2019 और दिनांक 17.07.2019 के शुद्धिपत्रों के साथ पठनीय" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-23/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)

अपर निदेशक

प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
4. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद के कार्यालय मे उप निदेशक को उनके पत्र सं. DRI/AZU/GI-02/Enq-3(Int-14/2017)/2018/2345 दिनांक 17.07.2019 के संदभ मे.